न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 381/2019

निर्णय दिनांक :– 14.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. देवकरण पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कवंरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. रामसुख पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कवंरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. रामकुरी पुत्री गोपी जाति गुर्जर निवासी कवंरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. जैती पुत्री गोपी जाति गुर्जर निवासी कवंरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. रामराज पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कवंरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. मजबून पुत्र चन्दन जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. मोती पुत्र भवंरलाल जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. महाराम पुत्र भवंरलाल जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. सोलाल पुत्र भवंरलाल जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. जीतमल पुत्र राजाराम जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
6. महेन्द्र पुत्र राजाराम जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
7. विनोद पुत्र राजाराम जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
8. समदू पुत्र राजाराम जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
9. मन्ना पुत्री राजाराम जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
10. सीमा पुत्री राजाराम जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
11. एजन पुत्री नेहनू जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
12. गीता पुत्री नेहनू जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
13. हंसराज पुत्र जयकिशन जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
14. पूरण पुत्र जयकिशन जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
15. श्रीमान तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)।

– प्रतिपक्षीगण

–उपस्थितिः–

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

राजेश जैन
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 2, 4, 13
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध 3, 5 ता 12 व 14

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात ख ख0नं0 166 रकबा 0.04 है0 गै0मु0 चाह वाके वाके ग्राम कवंरपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है।

प्रार्थीगण अपने उक्त कुंए पर अपने पूर्वजो के समय से ही खसरा नम्बर 263 मे होकर एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 10 की खातेदारी की भूमि ख0नं0 249 मे से होकर आते–जाते रहे है तथा उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा अपनी कृषि आराजीयात को उक्त चाह से सिचिंत करते आ रहे है परन्तु अब अप्रार्थीगण 1 ता 14 ने प्रार्थीगण के उक्त चाह मे आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त चाह पर आने जाने मे काफी परेशानी हो रही है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त चाह से सिचिंत करने से वंचित हो रहे है जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण के उक्त चाह से सिचिंत करने से वंचित हो रहे है। प्रार्थीगण के उक्त चाह पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी का कुआं वाके ग्राम कवंरपुरा मे स्थित है तथा प्रतिपक्षगण 1 ता 14 की खातेदारी की भूमि व सिवायचक भूमि वाके ग्राम बालापुरा तहसील देवली मे स्थित है। प्रार्थी का कुआं व प्रतिपक्षीगण की आराजीयात ग्राम कवंरपुरा व ग्राम बालापुरा की सीमा मे है। प्रार्थीगण को अपने उक्त कुंए पर आने जाने व अपनी खातेदारी की भूमि को उक्त चाह से सिचिंत करने के लिये आराजी भूमि खसरा नम्बर 292 सिवायचक भूमि मे से व अप्रार्थी सं. 11 ता 14 की भूमि खसरा नम्बर 263 मे से एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 10 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 249 मे से होकर 25 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। आराजी भूमि खसरा नम्बर 249 की सहखातेदार एजन पत्नि स्व0 राजाराम एवं खसरा नम्बर 263 के सहखातेदार मनभर, मीरा पुत्रिया नहनू व झमकू बेवा नेहनू की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण इनको पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर टी एक्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपने उक्त कुएं खसरा नम्बर 166 रकबा 0.04 है0 गै0 मु0 चाह वाके ग्राम कवंरपुरा गांव पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे आने–जाने व अपनी खातेदारी की भूमि को उक्त चाह से सिचिंत करने के लिये आराजी भूमि खसरा नम्बर 292 सिवायचक भूमि मे से व अप्रार्थी सं. 11 ता 14 की भूमि खसरा नम्बर 263 मे से एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 10 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 249 मे से होकर 25 फिट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अधिवक्ता श्री राजेश जैन ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व 4 व 13 की ओर से वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3, 5 ता 12 व 14 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 15 तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश किया गया जो इस प्रकार है:–प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने का मार्ग या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रार्थी पक्ष द्वारा आपके ओदश अनुसार 25 फिट अर्थात 7.62 मी चौडाई का रास्ता चाहा गया है। ग्राम कवंरपुरा के ख0नं0 167 रकबा 0.62 है0 किस्म बारानी 2 सिवायचक भूमि से 86 X 7.62 = 655 वर्ग मी0

भूमि चाही गई है। इसी प्रकार ग्राम 1/5 मोती, महाराम, सोलाल पुत्र भवंरलाल हि. 7/35 कोम रेबारी सा. देह खातेदार मजबून, सोलाल का हि. रहिन पीएनबी शाखा देवली से 98 X 7.62 = 747 वर्ग मी0 भूमि तथा ख0नं0 263 रकबा 0.45 है0 किस्म बारानी 1 खातेदार हसराज पुत्र जयकिशन हि. 1/12 एजन, गीता, मनभर, मीरा पुत्रिया झमकू पत्नि स्व. नेहनू हि. 5/6 पूरण पुत्र जयकिशन हि. 1/12 कोम रेबारी सा. देह खातेदार मरभर, मीरा व झमकू को छोड़कर शेष का हि. राहिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा देवली की भूमि से 48 X 7.62 = 366 वर्ग मी0 भूमि एवं ख.नं. 292 रकबा 7.75 है0 किस्म बंजर सिवायचक भूमि से 317 X 7.62 = 2416 वर्ग मी0 रास्ते के लिए चाही गई है। रास्ते के लिए चाही जाने वाली कृषि भूमि व सिवायचक भूमि की डीएलसी दर भूमि आबादी भूमि से 500 मी. के अन्दर की सीमा में स्थित होने से ग्राम कवंरपुरा के ख.नं. 167 की 655 वर्ग मी. के अन्दर की सीमा में स्थित होने से ग्राम कवंरपुरा के ख.नं. 167 की 655 वर्ग मी. के लिए असिचिंत हेतु 254150 रूपये प्रति है0 की दर से 55 X 2541.50 = 16647 X 2 = 33294 रूपये है। इसी प्रकार ग्राम बालापुरा के ख.नं. 249 में से 7047 एयर X 3519 रू. प्रति एयर = 26287 X 2 = 52574 रू. व ख.नं. 263 में से 3.66 एयर जो कि 3519 प्रति एयर जो कि 25760 रू. है ये ख.नं. 249 व 263 खातेदारी सिचिंत आबादी से 500 मीटर के अन्दर है की डीएलसी दर 351865 रू. प्रति एयर है। इसी प्रकार कवंरपुरा के ख.नं. 292 जो सिवायचक है में से रास्ते हेतु 2416 वर्ग मी. चाही गई है की कीमत 24.16 X 2542 = 122830 रू होती है ये भूमि असिंचित है की डीएलसी 254150 रू प्रति है0 है। इस प्रकार डीएलसी की दुगुनी दरों से उक्तानुसार ख.नं. वार राशि प्रतिकर के रूप में है। आवेदक की भूमि संयुक्त खातेदारी में है। आवेदक ग्राम बालापुरा के ख.नं. 249, 263, 292 से रास्ता चाहता है किन्तु आवेदित ख.नं. 166 ग्राम कवंरपुरा के मध्य व इन आराजियात के मध्य ग्राम कवंरपुरा का ख.नं. 167 सिवायचक भी मौका विवरण मौका अनुसार दर्ज कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई पेड़ व अतिक्रमण नहीं है। अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है सिवायचक भूमि से रास्ता लेना चाहता है जो मौके पर खाली है। अतः सिवायचक भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अतः रास्ता देना उचित नहीं है। अतः रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर पेश है। संलग्न :– पर्चा मौका, नक्शा ट्रेस, जामाबन्दी, नकल।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से ही उक्त खसरा नम्बरो से आते जाते रहे है परन्तु वर्तमान में अप्रार्थीगणो ने रास्ता बन्द कर दिया है जिसके कारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2, 4 व 13 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण अपनी चाह पर अभी भी आ जा रहे है। खसरा नम्बर 292 सिवायचक भूमि है जो सरकारी भूमि है जो सबके लिए खुली हुई है। प्रार्थीगण अपनी 0.04 है0 चाह में आने के

लिए इतना बडा रास्ता केवल परेशान व हैरान करने के लिए लेना चाह रहा है। प्रार्थीगण पूर्व कोसे ही अन्य नजंदीकी रास्ते से अपनी कुएं पर आ जा रहे है अर्थात प्रार्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसके अलावा अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण को अपनी चाह में आने के लिए मना नहीं किया है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 166 रकबा 0.04 है0 गै. मु. चाह वाके ग्राम कंवरपुरा में जाने के लिए सिवायचक भूमि ख. नं. 292 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख. नं. 263 व 249 में से रास्ता चाहता है। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण को अपनी चाह में जाने लिए मना नहीं किया है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। रिकॉर्ड के अवलोकन से भी परिलक्षित होता है कि चाह पर पहुंचने के लिए छोटा रास्ता उपलब्ध हो सकता है। उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण केवल सुखाचार व सुविधा के लिए रास्ता चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा सुखाचार व सुविधा के लिए रास्ता चाहने व प्रार्थना पत्र 251 ए की मंशा के अनुरूप नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी चाह में जाने के लिए उपयोगित रास्ते को बन्द नहीं करे, प्रार्थीगण के आने जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली